

न्यायालय राजस्व अपील पाठिकापी, जोधपुर
पीठाधीन अधिकापी श्री नरदत्तल वरदठ, अ.र.उ.र.

2017RAJU223RTA098 Jaswantsingh etc Vs State of Rajasthan

1. नसदवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
2. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
3. वरवसिठ पुन वरवसिठ (वठ) वसिठ कयसमकुस--
4. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव वसिठ कयसमकुस--
 - a. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
 - b. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव

वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
 वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
 वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव

5. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
6. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
7. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
8. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
9. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
10. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव

वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव
 वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव



३

११

४

----- अधीनवस

1. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
2. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
3. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
4. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
5. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
6. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
7. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ
8. वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव, वरवसिठ, वरवसिठ

वरवसिठ पुन वरवसिठ राजपुसिठव

----- अधीनवस

----- वरवसिठ

अपील अन्वयात विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ग्वापी दिनांक 03 अक्टूबर 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 18/2017 बालावरसिंह बलाम वसन्तवासिंह आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

- श्री महिपाल राजपुत्री, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
- श्री इंदराम बीहरी, राजकीय अधिवक्ता, रैप्री. संख्या एक व दो
- श्री पूनाराम विरगोई, अधिवक्ता रैप्री. संख्या तीन से आठ

निर्णय

दिनांक : 21 नवम्बर 2019 अपीलान्ट व विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ग्वापी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 18/2017 बालावरसिंह बलाम वसन्तवासिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2017 के खिलाफ यह अपील अदालत द्वारा के समक्ष दिनांक 02 नवम्बर 2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ अपीलान्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र मय

शपथपत्र पेश कर गतिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलान्टीज निर्णय के अग्रक्रम में डिफ़ी पठा ली गयी तथा। अतः

अपील के साथ डिफ़ी पठा की लकल प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में

शिथिलता प्रदान की जावे।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय

के समक्ष वादीवाम-अपीलान्ट्स व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आरानी खास संख्या 1081

रकबा 40 बीघा वाक मौजा खारा बेरा पुरोहिवाल के संबंध में पेश किया,

जो वाद संख्या 04/2014 वसन्तवासिंह बलाम सरदारसिंह अधीनस्थ


न्यायालय द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2016 को स्वीकार किया गया। इसके

Handwritten signature and stamp at the top of the page.



राजस्थान सरकार
जयपुर

वहस में वर्णित बिजुआ को दोहराते हुए कथन किया कि रे.पी. को राज्य प्राधिकरण प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य से संबंधित मूल वाद प्रकरण की प्रकृति का अवलोकन ही नहीं किया, अन्यथा वरगृहीत का रतः ही अधीनस्थ न्यायालय को डान ही जाता कि मूल वाद के प्रतिवादीवण संख्या एक से सहा न तो कभी जाव खाराबरा मूल वाद के प्रतिवादीवण संख्या एक से सहा न तो कभी जाव खाराबरा अधीनस्थ में रूटिवश उनका नाम दर्ज हो गया। वर्तमान रे.पी. संख्या 3 से 8 एवं उनके पूर्वजों अर्थात मूल वाद के प्रतिवादीवण द्वारा भी कभी वादीवण के कब्जे का मत बाबत कोई उब-एतरान उठया गया। इससे जाहिर हो जाता है कि न. तो मूल वाद के प्रतिवादीवण कभी जाव खाराबरा पुरोहितान में रहे और न ही वादवस्त आराजियात पर उनके कोई कब्जा-कायत रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने समय इस तथ्य पर और नहीं किया गया कि वर्तमान रे.पी. संख्या 3 से 8 द्वारा पूर्व में आदेश 9 नियम 13 संपादित धारा 151 के तहत राज्य प्राधिकरण की कार्यवाही में प्रकृतिवादी मूल वाद का प्रकृतिवादी के आदेशकवण द्वारा उक्त प्राधिकरण जाये बिना खारिज करवा लिया गया। अब इन रे.पी. द्वारा राज्य प्राधिकरण पेश किया गया है। जिसके साथ अर्थात प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत विधिक बिजु भी उचित तौर पर निर्णित नहीं किये जाये है, निम्न प्रकृतिवादी को मूल वाद बादाया गया, उन सबके मूल्य प्रमाण पर तब प्रस्तुत नहीं हुए, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिजु पर और तब नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को एक साल बाद प्रस्तुत किया गया है। राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों की




श्रीमान् जस्टिस अशोक कुमार, 1955 की धारा 229 के तहत राज्य की कार्यवाही में आदेश अर्पित अदागत हुआ में संशोधन योग्य ही नहीं है। राजस्थान अधिकार है। इसके विपरीत राज्य में पारित अधिनियम आदेश के विरुद्ध और प्रकरण में विवाद व्यक्त है, अतः उन्हें राज्य पेश करने का पूर्ण राज्य पेश करने वाले बाद में प्रतिवादीजग के विरुद्ध उच्च न्यायालय की न्याय में स्थगि. की और से विज्ञान अधिवक्ता ने कथन किया कि का निवेदन किया।

के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने स्थगि. संख्या एक व दो की और से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का निवेदन किया।

आदेश अर्पित स्वीकार की जाकर अधिनियम आदेश निरस्त किये जाने मूल वाद में पक्षकार ही नहीं थे। अतः में अधिवक्ता अधिनियम के तहत ही जा रहा है। राज्य उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि पारित निर्णय, जिसके विरुद्ध राज्य की कार्यवाही की गयी है, वह समाप्त मूल वाद में पुनः कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होती, अपितु मूल वाद में जिस प्रकार पारित किया गया है, वह विधिज्ञान नहीं है क्योंकि उससे अधिवक्ता-अधिनियम का यह भी तर्क रहा है कि अधिनियम आदेश जाने के पूर्व उक्त दोनों प्राधान्यों का निरस्तारण ही किया गया है। द्वारा न तो समय दिया गया और न ही अधिनियम आदेश पारित किये दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की गयी थी, मगर अधिनियम न्यायालय में करने हेतु समय की मांग की गयी थी, तथा दूसरे प्राधान्य में की और से अधिनियम न्यायालय में दो प्राधान्य, एक में न्याय प्रस्तुत जबकि निम्नानुसार ऐसा किया जाना निदान आवश्यक है। अधिनियम प्राधान्यवाद अधिनियम न्यायालय में कोई जांच नहीं की गयी,

28/10
 श्रीमान् जस्टिस अशोक कुमार
 1955



Handwritten signature and blue stamp at the top of the page.

राजस्थान कायदाकमी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत रियु
पर यह इसके साथ ही यह भी ख्याल रखे जाने योग्य है कि
अधिवक्ता-रेग्. के कथन से अदालत तमा सहमत है।

आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में
राजस्थान कायदाकमी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत अपने किसी
यह सही है कि अधिवक्ता नियुक्त के अंतर्गत अधिवक्ता नियुक्त

पुनरावलोकन किया जा सकता है।

पर अधिवक्ता-अपील के उक्त कथन की पुष्टि होती है। अतः
है, इस संबंध में अधिवक्ता नियुक्त की प्रकृति का अवलोकन करने
अपील में अधिवक्ता प्रदान किया जाने हेतु पुनरावलोकन का प्रश्न

वहाँ तक अपील के साथ किसी प्रार्थना की जा सकती है।

अवलोकन किया गया।

राजस्थान अधिवक्ता नियुक्त किया गया एवं उक्त अधिवक्ता का आधीन

उत्तराधिकारी के विरुद्ध अधिवक्ता नियुक्त की उरीत बहस पर

धारित होने से खारिज की जाते।

और न ही अन्य पुनरावलोकन करने का कोई सबूत दिया। अतः अपील

अधीन अधिवक्ता नियुक्त का अधिवक्ता नियुक्त ने उक्त ही नहीं दिया

प्रदान की गयी है, निरस्त की जा सकती है। यह भी कथन किया कि

पुनरावलोकन में, उक्त अधिवक्ता का देहान्त हो चुका था। ऐसी किसी भी फंड से

अधिवक्ता-रेग्. ने यह भी गतिर किया कि मूल वार में निम्न

वही है

■ देयता माल से प्रदा करने कि प्रस्ताव आदेश सही


■ कोई नया साक्ष्य प्रदा करने

कि --

न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है। रियु के आवस्यक शर्त यह है

प्राधान्य की कारवाही एक आयाधिक सक्षिप कारवाही होती है जिसके तहत मात्र उन्ही रूटियों एवं भूगों का परिभाजन किया जा सकता है, जो प्रथम दृष्टया अधिकृत के मुखपृष्ठ पर दृष्टिकोण (prima facie error apparent on the face of the record) होती है या कोई नवीन सारभूत तथ्य या सूत्र दखान में लाया जाता है।

आलोच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान आगत्य प्रयोजन करते हुए अधीनस्थ प्रतीक करते हुए अधीनस्थ आदेश दिया है, वह स्पष्ट है। द्वारा प्रस्तुत रिज्यू प्राधान्य में वर्णित मूलतः इस अधिकृत के आधार पर पारित किया गया है कि मूल वाद में अधीनस्थ के अवलोकन मात्र से एकट हो जाता है कि मूल वाद के खलाया गया है। अतः बिना किसी वाद-विवाद के यह तथ्य प्रथम दृष्टया पूर्व इन मूल प्रतिवाहियों के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रकृत नही मूल दावे में विषय एवं इसी दिनांक 04 जुलाई 2016 पारित किये जाने के प्रमाणपत्र पेश किये गये। मूल दावे में यह सभी प्रतिवादीवण है और दिनांक 6 जनवरी 2001) व किशोरसिंह (मृत्यु दिनांक अक्टूबर) के मृत्यु जून 1987), अमरसिंह (मृत्यु दिनांक 18 अक्टूबर 2003), रामसिंह (मृत्यु दिसंबरसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जनवरी 2000), गोरधनसिंह (मृत्यु दिनांक 02 प्रथम दृष्टया अपरत किये जाने योग्य है। अपने रिज्यू प्राधान्य के साथ प्रकृत बना कर और इन्हें निवास स्थान लिख कर इसी दिसंबर की जो में ही निवास करते हैं, मगर वादीवण ने सभी मूल प्रतिवादीवण को धोलिया सांसण के निवासी थे, आज भी उनके वारिस धोलिया सांसण प्रतिवादीवण संख्या एक से सतह सभी फौद ही चुके हैं, प्रतिवादीवण सभी अधीनस्थ के आधार पर पारित किया गया है कि मूल वाद में गया है, वह स्पष्ट है। द्वारा प्रस्तुत रिज्यू प्राधान्य में वर्णित मूलतः इस प्रयोजन करते हुए अधीनस्थ विषय दिनांक 03 अक्टूबर 2017 पारित किया कावकासी अधिविषय, 1955 की धारा 229 के तहत प्रदत्त शक्तियों का राजस्थान आगत्य न्यायालय द्वारा राजस्थान



Handwritten signature and a blue stamp at the top of the page.

पारित करने और मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्ली दिनांक 04 जुलाई 2016 खारिज करने तक कोई रूटि नहीं की गयी है।

भार प्रथमतः अन्य 12 प्रतिवादीवर्ग के मूल्य प्रमाणपत्र पेश की

गयी है। जो मूल्य प्रमाण पत्र पेश हुए, उनमें से एक प्रतिवादी की मूल्य दिनांक अरपुष्ट होने से पहले में नहीं आ रही है। इस प्रकार 13 प्रतिवादीवर्ग के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इनका देहान्त किस

दिनांक को हुआ। जो प्रमाणपत्र पेश हुए, वे मात्र फोटोप्रतियां हैं, विधिवत मूल प्रमाणपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर लियागुस्तार उन्हें पदक्ष

करवाया जाना है। फिर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद यह निश्चित

किया जाना है कि सभी प्रतिवादीवर्ग के देहान्त की जाणकारी वादीवर्ग की थी अथवा नहीं, जाणकारी थी तो कब से थी। जिस प्रकार मृतक

प्रतिवादीवर्ग के वारिसान को सार्व रिफाई बाबत कोई जाणकारी नहीं

थी, क्या वादीवर्ग को भी प्रतिवादीवर्ग के बारे में, उनकी मृत्यु हो जाने

आदि के बारे में जाणकारी नहीं थी, यह भी एक बहस का बिन्दु है। इन

सभी बाबत मूल वाद में पुनः कार्यवाही आरम्भ की जाकर पक्षकारान की

साक्ष्य सुनवाई के बाद ही विनिश्चित किया जा सकता है। सीपीसी आदेश

47 (8) में स्पष्ट पाठयान है कि "मंजूर किसे जो आवेदन रिजिस्टर में

दखला जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश" - यदि पुनर्विचार

का आवेदन मंजूर कर लिया जाता है तो उसका रिपण रिजिस्टर में किया

जाना और न्यायालयय मामले को पुनः फिर सुन सकता या फिर से

सुनवाई के बारे में ऐसा आदेश कर सकता जो वह ठीक समझे।


भार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ निर्णय में मात्र मूल

वाद में पारित निर्णय व डिक्ली दिनांक 04 जुलाई 2016 को अपारत किया

है, बकाया उपरोक्त आन्वेष में इतिवत कार्यवाही बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं

किया है कि जिससे जाहिर है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

Handwritten signature and blue stamp at the top of the page.



अपीलाधीन जिल्हा त्रिमासिक 03 अक्टूबर 2017 अपील आण में अपूर्ण है।
अतः अपील अपीलापट्टस आदेशिक दौर पर स्वीकार की जाती है और
अपीलाधीन आदेश त्रिमासिक 03 अक्टूबर 2017 इस प्रकार संशोधित किया
जाता है -

03.10.2017 - अतः ग्रहणार्थ का प्रस्ताव स्वीकार

किया जाता है तथा राज्य वार संख्या 4/2014
वसवतसिंह बगाम सरदारसिंह अन्तर्गत धारा 88 व
188 राज्यपाल कारवाही अधिनियम, 1955 में

परिवर्तित जिल्हा एवं डिप्टी त्रिमासिक 04 जुलाई 2016
अपस्त किसे जाता है। मूल वार प्रकरण पुनः दल
किया जाकर मूलक प्रशासन के सभी विधिक
वारिमान को अधिलेख पर लिया जाकर उन्हें
सुनवाई का समर्थित अवसर देने हेतु कार्यवाही की
जाती है।"

जिल्हा एवं न्यायालय में सुनाया गया।

(न्यायाधीश बरहद)

राज्य अपील प्राधिकारी, जोधपुर

